HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13513/2026
CNR: RJHC020830382026 | URN: CRLMB / 25004U / 2026

Sachin Dayma S/o Shri Ramsharan, Aged About 20 Years, Aged About 20 Years 8 Months, R/o Chanchakki, Ps Sarund, Dist. Kotputli-Behror (Raj.) (Presently In Dist. Jail, Kotputli).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Atul Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. S.R.Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

02/09/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना–पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस थाना **कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **319/2026** अपराध अंतर्गत धारा 111(3), 111(4) भारतीय न्याय संहिता एवं 5/25(6) आयुध अधिनियम में जमानत का लाभ प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी को सहअभियुक्तगण संदीप, हिमांशु, बिजेन्द्र, राहुल एवं हर्ष के कथनों के आधार पर प्रकरण में संलिप्त माना गया है। उनका तर्क है कि उक्त अभियुक्तगण के आधिपत्य से आग्नेयास्त्र बरामद हुए थे, जिन्हें प्रार्थी से खरीदना बताया है। इस कारण उसे अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुत 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है, ऐसी स्थिति में उसका अपराध धारा 9/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आता है जो तुलनात्मक रूप से कम दण्ड से दण्डनीय अपराध है। सहअभियुक्तगण बिजेन्द्र, राहुल एवं हर्ष को विचारण

न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.06.2026 से अभिरक्षा में है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य व्यक्तियों को बिना लाइसेंस आग्नेयास्त्र एक पिस्टल, एक कट्टा एवं सात जिन्दा कारतूस बेचे हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के भी 4 आपराधिक प्रकरण लम्बित हैं। गम्भीर अपराध है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य व्यक्तियों को बिना लाइसेंस आग्नेयास्त्र एक पिस्टल, एक कट्टा एवं सात जिन्दा कारतूस विक्रय किए जाने का आरोप है। बाद अनुसंधान धारा 111(3), 111(4) भारतीय न्याय संहिता एवं 5/25(6) आयुध अधिनियम में आरोप–पत्र पेश किया गया है। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण से पूर्व भी तीन अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं, जिनमें प्राप्त जमानत की सुविधा का दुरूपयोग करते हुए यह अपराध कारित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के आधिपत्य से 6 देशी पिस्टल, 10 जिन्दा कारतूस एवं 5 खाली कारतूस मैगजीन बरामद होने के आधार पर एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 324/2026 दर्ज हुई है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा भारी मात्रा में आग्नेयास्त्रों की खरीद–फरोख्त का कार्य किया जाना प्रकट हो रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा नवयुवकों को बिना लाइसेंस हथियार बेचे गए हैं, जिनका उपयोग आपराधिक कृत्यों में किए जाने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

89/AJAY KUMAR SINGHAL